

श्री प्रेमप्रकाश वयस्क पुत्र श्री भोलूराम जाति रेगर निवासी धर्मा कॉलोनी गायत्री नगर,  
अजमेर रोड़ ब्यावर अजमेर (राज.)

-----वादी

ब न म

- 1- श्रीमती डाली देवी वयस्क पत्नि स्व. श्री बाबूलाल
  - 2- श्री शांतिलाल अवयस्क पुत्र स्व. श्री बाबूलाल
  - 3- श्री राजू अवयस्क पुत्र स्व. श्री बाबूलाल
  - 4- कु. माया अवयस्क पुत्री स्व. श्री बाबूलाल
- प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 4 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता प्रतिवादिया  
नम्बर 1 श्रीमती डाली देवी समस्त जाति रेगर निवासियान नरबदखेड़ा तहसील  
ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
- 5- राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार ब्यावर (राज.)

-----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय

दिनांक 12.09.2018

प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दि. 01-06-2018 को विभाजन की अंतरिम डिक्री पारित कर वादी का वास्ते विभाजन लाया गया वाद स्वीकार योग्य पाया जाने से स्वीकार किया गया और प्रकरण में इस आशय की प्राथमिक डिक्री पारित की गई कि- "ग्राम नरबदखेड़ा पटवार हल्का नरबदखेड़ा के खसरा संख्या 42 रकबा 00-01-00 किस्म चाह, 43/1 रकबा 03-15-00 किस्म दांती (बा.3), 55 रकबा 04-01-00 किस्म आबी 1 गैर, 57 रकबा 00-19-00 किस्म आबी 1 गैर, 58 रकबा 01-00-00 किस्म आबी 1 गैर, 59 रकबा 00-19-00 किस्म आबी 1 गैर, 60 रकबा 00-18-00 किस्म आबी 1 गैर, 61 रकबा 01-06-10 किस्म आबी 1 गैर तथा खसरा संख्या 62 रकबा 01-06-00 किस्म आबी 1 गैर, 63 रकबा 00-16-00 किस्म आबी 1 गैर, 64 रकबा 00-17-10 किस्म आबी 1 गैर में वर्तमान जमाबंदी में जो वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चले आ रहे हैं, उनके हिस्सों के अनुसार बॉई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर उनके वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के हिस्सेनुसार पृथक पृथक खाते एवं कब्जा कायम किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं तथा नक्शा ट्रेस में अलग अलग रंग से दर्शित करते हुये तथा किसी पक्षकार द्वारा अपना हिस्सा विक्रय किये जाने की स्थिति में क्रेता का नाम अंकित करते हुये तथा किसी पक्षकार की मृत्यु होने की दशा में उसके विधिक वारीसान की जांच कर वारीसान के नाम अंकित करते हुये बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तावित किये जाने के आदेश तहसीलदार ब्यावर को दिये जाते हैं, कि उक्तानुसार बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करे तथा प्रस्ताव में खातेदारों की भूमियों में आने जाने के लिए रास्ते का प्रावधान भी रखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।"

तहसीलदार ब्यावर ने अपने पत्रांक/भूअ./2017/4606 दि० 06-09-2018 से बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जिस पर अधिवक्ता वादी को सुना गया। पत्रावली व बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नरबदखेड़ा पटवार हल्का नरबदखेड़ा तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) के खसरा संख्या 43/1 रकबा 02-04-00, 55/1 रकबा 01-10-10, 57/1 रकबा 00-09-10 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 04-04-00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 डालीदेवी पत्नि स्व. बाबूलाल, शान्तिलाल राजू नाबा. पित्र बाबूलाल, माया नाबा. पुत्री बाबूलाल बसरबराही माता खुद कौम रेगर सा. देह के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 43/3 रकबा 01-11-00, 55/2 रकबा 02-10-10, 57/2 रकबा 00-09-10, 58 रकबा 01-00-00, 59 रकबा 00-19-00,  
.....लगातार



उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर  
ब्यावर

60 रकबा 00-18-00, 61 रकबा 01-06-10, 62 रकबा 01-06-00, 63 रकबा 00-16-00, 64 रकबा 00-17-10 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 11-14-00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया है, को प्रेमप्रकाश पुत्र भोलूराम कौम रेगर निवासी धर्मा कॉलोनी गायत्री नगर अजमेर रोड़ ब्यावर खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 42 रकबा 00-01-00 किस्म चाह को डालीदेवी पत्नि स्व. बाबूलाल, शान्तिलाल राजू नाबा. पि. बाबूलाल माया नाबा. पुत्री बाबूलाल बसरबराही माता खुद कौम रेगर हि. 4/15 सा. देह, प्रेमप्रकाश पुत्र भोलूराम कौम रेगर हि. 11/15 नि. धर्मा कॉलोनी गायत्री नगर अजमेर रोड़ ब्यावर खातेदार के हिस्से में रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। तदनुसार तहसीलदार ब्यावर पृथक पृथक खाते कायम कर राजस्व नक्शा में तरमीम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। उपरोक्त खातेदारान के आने जाने का रास्ता सिवायचक ख.नं. 43/2 रकबा 02-00-00 में मौके पर स्थित नरेगा के अन्तर्गत तैयार की गई कच्ची सड़क होना अंकित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है, कि वे वादी के हिस्से में आई भूमियों में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुरेश चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, ब्यावर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर  
व अजलाम सुरेश चौधरी आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या 31/2018

श्री प्रेमप्रकाश वयस्क पुत्र श्री भोलूराम जाति रेगर निवासी धर्मा कॉलोनी गायत्री नगर,  
अजमेर रोड़ ब्यावर अजमेर (राज.)

-----वादी

ब न म

- 1- श्रीमती डाली देवी वयस्क पत्नि स्व. श्री बाबूलाल
- 2- श्री शान्तिलाल अवयस्क पुत्र स्व. श्री बाबूलाल
- 3- श्री राजू अवयस्क पुत्र स्व. श्री बाबूलाल
- 4- कृ. माया अवयस्क पुत्री स्व. श्री बाबूलाल  
प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 4 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता प्रतिवादिया  
नम्बर 1 श्रीमती डाली देवी समस्त जाति रेगर निवासियान नरबदखेड़ा तहसील  
ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
- 5- राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार ब्यावर (राज.)

-----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी.....मिनजामिन  
मुददई रूबरू.....मिनजामिन मुददायलह पेश हुक्म दिया जाता है कि, ग्राम  
नरबदखेड़ा पटवार हल्का नरबदखेड़ा तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) के खसरा  
संख्या 43/1 रकबा 02-04-00, 55/1 रकबा 01-10-10, 57/1 रकबा  
00-09-10 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 04-04-00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में गुलाबी  
रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 डालीदेवी पत्नि स्व.  
बाबूलाल, शान्तिलाल राजू नाबा. पित्र बाबूलाल, माया नाबा. पुत्री बाबूलाल बसरबराही  
माता खुद कौम रेगर सा. देह के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 43/3 रकबा  
01-11-00, 55/2 रकबा 02-10-10, 57/2 रकबा 00-09-10, 58 रकबा  
01-00-00, 59 रकबा 00-19-00, 60 रकबा 00-18-00, 61 रकबा 01-06-10, 62  
रकबा 01-06-00, 63 रकबा 00-16-00, 64 रकबा 00-17-10 कुल कित्ता 10 कुल  
रकबा 11-14-00 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया है, को  
प्रेमप्रकाश पुत्र भोलूराम कौम रेगर निवासी धर्मा कॉलोनी गायत्री नगर अजमेर रोड़  
ब्यावर खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 42 रकबा 00-01-00  
किस्म चाह को डालीदेवी पत्नि स्व. बाबूलाल, शान्तिलाल राजू नाबा. पि. बाबूलाल  
माया नाबा. पुत्री बाबूलाल बसरबराही माता खुद कौम रेगर हि. 4/15 सा. देह,  
प्रेमप्रकाश पुत्र भोलूराम कौम रेगर हि. 11/15 नि. धर्मा कॉलोनी गायत्री नगर अजमेर  
रोड़ ब्यावर खातेदार के हिस्से में रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। तदनुसार  
तहसीलदार ब्यावर पृथक पृथक खाते कायम कर राजस्व नक्शा में तरमीम करते हुए  
राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। उपरोक्त खातेदारान के आने जाने का रास्ता  
सिवायचक ख.नं. 43/2 रकबा 02-00-00 में मौके पर स्थित नरेगा के अन्तर्गत  
तैयार की गई कच्ची सड़क होना अंकित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को  
जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है, कि वे वादी के हिस्से में आई भूमियों  
में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना  
वहन करे।

निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद  
वगैरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक.....की अदा  
करें।

बहस्व मेरे दस्ताख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 12.09.2018 को जारी  
किया गया ।



उपखण्ड अधिकारी (सुरेश चौधरी) कलक्टर  
आर. ए. एस. 0  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, ब्यावर  
.....लगातार

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	



उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर  
(सुरेश चौधरी)  
ब्यावर

आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, ब्यावर